न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानोड़, जिला-उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	नुकेश भगोरा (आर.जे.एस.)
प्रकरण संख्या	:	49/2020 मु.फौ.
सी.आई.एस. नम्बर	:	49/2020
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा	:	23 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम

1. श्रीमती कल्पना पत्नी किशनलाल, पुत्री हिम्मत मीणा,
2. अनिल पुत्र किशनलाल, आयु 3 वर्ष, बविलायत माता कल्पना मीणा
3. कुशाल पुत्र किशनलाल, आयु 10 माह, बविलायत माता कल्पना मीणा,

निवासी गुन्दला नारदा, थाना भीण्डर, हाल केसरपुरा कानोड़, थाना कानोड़, जिला-उदयपुर।

------- **व्यथितगण**

- बनाम -

1. किशनलाल पुत्र भैरूलाल
2. भैरूलाल पुत्र कालु
3. श्रीमती अम्बाबाई पत्नी भैरूलाल
4. बद्रीलाल पुत्र भैरूलाल
5. कैलाश पुत्र भैरूलाल (कार्यवाही नहीं चाहते, प्रार्थना पत्र नोटप्रेस किया गया)

सभी निवासी गुन्दला नारदा, थाना भीण्डर, जिला-उदयपुर।

--------**प्रत्यर्थीगण**

उपस्थितः-

01. विद्वान् अधिवक्ता श्री सी.पी. मेनारिया, वास्ते व्यथितगण।

02. विद्वान् अधिवक्ता श्री सी.एल. मेघवाल, वास्ते प्रत्यर्थी संख्या एक से चार।

03. प्रत्यर्थी संख्या पांच के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किया गया।

-:: आदेश :: -

दिनांकः- 19-01-221

1. इस आदेश के द्वारा व्यथित श्रीमती कल्पना की ओर से घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र में धारा 23 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत अंतरिम भरण पोषण दिलाये जाने, का निस्तारण किया जा रहा है।

2. व्यथित के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यथित श्रीमती कल्पना ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20, 22, 23 के अधीन एक आवेदन पत्र पेश किया है, जिसमें उसने मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अंतरिम भरण पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया है। व्यथित ने मूल प्रार्थना में यह कथन किया है कि प्रार्थी संख्या एक एवं विपक्षी संख्या एक का विवाह करीब पांच वर्ष पूर्व केसरपुरा में संपन्न हुआ, तभी से प्रार्थी संख्या एक बहैसियत पत्नी बनकर ससुराल रहकर दाम्पत्य धर्म का पालन करने लगी। विपक्षी संख्या एक के नुत्फे से प्रार्थीया को दो लड़के प्रार्थी संख्या दो अनिल एवं प्रार्थी संख्या तीन कुशाल हुए। विवाह के पश्चात् से ही प्रार्थीया उसके ससुराल में रहने लग गयी, उस दरम्यान विपक्षी संख्या एक विपक्षी संख्या दो के सीखावे में आकर प्रार्थीया के साथ मारपीट करने लग गया, क्योंकि विपक्षी कहता कि तेरे पिता ने वक्त शादी दहेज के रूप में कुछ नहीं दिया है, इसलिए तेरे परिवार वालों से रूपये लेकर आयेगी तो ही तुझे रखेंगे, अन्यथा तुझे तलाक दे देंगे। पूर्व में भी दहेज कम देने की बात कहते हुए उक्त सभी विपक्षीगण ने प्रार्थीया के साथ मारपीट की जिसकी प्रार्थीया ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ थाना कानोड़ में कार्यवाही बाबत् रिपोर्ट दर्ज करायी जिसका प्रकरण कानोड़ न्यायालय में चला जिस पर दिनांक 08-09-2019 को दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता हुआ जिसमें प्रार्थीया के पति व उसके परिवार वालों ने आईन्दा कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करने की बात पर प्रार्थीया का पति प्रार्थीया व बाल बच्चों को साथ गुन्दला नारदा लेकर गया। कुछ समय बाद फिर से दहेज की मांग करने लग गये और प्रार्थी संख्या एक को मारपीट कर परेशान करने लग गये। दिनांक 18-12-2019 को सुबह करीब 7.30 बजे विपक्षी संख्या एक ने गाली देते हुए प्रार्थी संख्या एक के साथ मारपीट करना चालू कर दिया तथा सभी विपक्षीगण ने हम सलाह होकर प्रार्थी संख्या एक को यह कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि इस राण्ड को अब यहां नहीं रखना है जिस पर वह प्रार्थी संख्या दो व तीन को अपने साथ लेकर रोती बिलखती हुई अपने पीहर आयी। विपक्षीगण किसी न किसी प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करते एवं तंग व परेशान करते। प्रार्थी संख्या एक के पास रहने, खाने, कमाने का आय का कोई भी साधन नहीं है। विपक्षी के पास चार बीघा कृषि भूमि है जिससे करीब एक लाख रूपये सालाना आय होती है तथा विपक्षी संख्या एक स्वयं का ट्रेक्टर है जिससे मासिक चालीस हजार रूपये आय होती है। प्रार्थीया को अंतरिम भरण पोषण के रूप में आठ हजार रूपये प्रतिमाह दिलाये जावें।

3. प्रत्यर्थी किशनलाल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने विपक्षी के साथ नाता विवाह किया था

जिससे प्रार्थीया के पूर्व पति ने विपक्षी से 151000/- रूपये झगड़ा राशि ली जिस बाबत् एक लिखापढ़ी विपक्षी के पक्ष में निष्पादित की गयी जिसकी प्रति पेश है। विपक्षी के नुत्फे से प्रार्थीया को संतान उत्पन्न हुई है। प्रार्थीया के पिता मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, जिसके ईलाज के लिये भी विपक्षी संख्या एक ने फर्दन-फर्दन 25000/- रूपये दिये। प्रार्थीया के भाई को चांदी का एक ब्रासलेट कीमती पांच हजार रूपये का दिया तब प्रार्थीया का भाई नाता विवाह के लिये राजी हुआ। प्रार्थीया के माता-पिता एवं भाई विपक्षी को आये दिन बिना किसी बात से परेशान करते और प्रार्थीया को जबरन फोन कर अपने पास बुला लेते, जब भी विपक्षी प्रार्थीया को लेने जाता तो प्रार्थीया व उसके परिवार वाले लड़ाई-झगड़ा करते और झूठी-झूठी धमकियां देते व प्रार्थीया को विपक्षी के साथ भेजने से मना करते रहे। विपक्षी ने प्रार्थीया के साथ नाता विवाह किया तब से विपक्षी व प्रार्थीया अलग से मकान में निवास करते आये हैं एवं उनके परिवार में उनके माता-पिता, भाई-बहिन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। विपक्षी व उसके परिजनों ने दहेज की मांग नहीं की, विपक्षी ने प्रार्थीया के साथ कभी लड़ाई-झगड़ा नहीं किया और न ही कभी दहेज की मांग की। प्रार्थीया विपक्षी व उसके परिवार को परेशान करने के लिये आये दिन धमकियां देती हैं और विपक्षी को डराती कि ज्यादा किया तो तुम्हारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कर फंसा देगी। विपक्षी ने कभी भी प्रार्थीया के साथ गाली-गलौच नहीं की, न ही प्रार्थीया के साथ बुरा व्यवहार किया। दिनांक 18-12-2019 को सुबह चार बजे विपक्षी ट्रेक्टर लेकर गया और बोल के गया कि वह शाम को घर आयेगा। शाम को आठ बजे घर आया तो उसकी माता ने बताया कि तेरी पत्नी कल्पना सुबह नो बजे घर से यह कहकर निकली कि वह हैडपम्प पर कपड़े धोने जा रही है और प्रार्थीया उसके बच्चों को छोड़कर कपड़े, लत्ते, रकमें जिसमें पांच सौ ग्राम चांदी का कंदोरा, आधा तोला सोने का मादलिया, सभी लेकर बिना बताये चली गयी और उस दिन थाना कानोड़ में रिपोर्ट देकर शाम करीब छह बजे पुलिस की जीप आयी जिसमें कल्पना और उसके पिता हिम्मत, माता गोपीबाई साथ आये और उसके लड़कों को जबरदस्ती पुलिस की सहायता से ले गये। विपक्षी प्रार्थीया को साथ रखकर उसका हर तरह से भरण पोषण करने को सदैव तत्पर रहा हैं और भविष्य में भी प्रार्थीया विपक्षी के साथ पत्नी के रूप में शांति से निवास करने के लिये तैयार हैं तो विपक्षी प्रार्थीया की हर जरूरत पूरी करने को तैयार हैं और इस वर्ष के शुरूआत में ही कोरोना महामारी के कारण विपक्षी के सारे रोजगार बंद हो गये हैं व विपक्षी के पास जो ट्रेक्टर, ट्रोली टीलर इत्यादि साधन थे जिसकी लॉकडाउन के कारण घर पर पड़े रहने से फाईनेंस की किश्तें समय पर जमा नहीं करा पाया जिससे विपक्षी के सभी रोजगार के साधन फाईनेंस कंपनी द्वारा जब्त कर लिये। वर्तमान में विपक्षी के पास रोजगार का कोई उचित साधन नहीं है, विपक्षी के पास कोई खेती की जमीन भी नहीं है। विपक्षी वर्तमान में 250 रूपये की दिहाड़ी की

मजदूरी करता है। अतः प्रार्थीया विपक्षी से किसी प्रकार का अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

4. बहस उभयपक्षकारान् सुनी गयी। दौराने बहस व्यथितगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्त्ती की है तथा दौराने बहस प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

5. हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है किः-

''आया व्यथितगण, प्रत्यर्थी संख्या एक किशनलाल से अंतरिम रूप से भरण पोषण बाबत् राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?''

6. बहस उभयपक्ष सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया एवं सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया । हस्तगत अवधार्य बिन्दु के संदर्भ में प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने तथा उभयपक्ष की ओर से दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने के पश्चात् प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि व्यथित संख्या एक ने स्वयं को प्रत्यर्थी संख्या एक की विवाहिता पत्नी होने का तथा व्यथित संख्या दो व तीन को प्रत्यर्थी संख्या एक के पुत्र होने का कथन किया है। प्रत्यर्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में भी व्यथित संख्या एक का नाता विवाह प्रत्यर्थी संख्या एक के साथ होना एवं व्यथित संख्या दो व तीन का प्रत्यर्थी संख्या एक के पुत्र होने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तो स्वीकृत स्थिति है कि व्यथित संख्या एक, प्रत्यर्थी संख्या एक की विवाहिता पत्नी है तथा व्यथित संख्या दो व तीन व्यथित संख्या एक व प्रत्यर्थी संख्या एक के पुत्र है।

7. व्यथित ने उसके प्रार्थना पत्र में एवं दौराने बहस कथन किया है कि व्यथित संख्या एक का विवाह करीब पांच वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी संख्या एक के साथ होने के पश्चात् वह उसके ससुराल में प्रत्यर्थी संख्या एक की पत्नी बनकर रहने लगी, उस दरम्यान प्रत्यर्थी संख्या एक, प्रत्यर्थी संख्या दो के बहकावे में आकर व्यथित के साथ मारपीट करता, उससे दहेज के रूप में रूपयों की मांग करता एवं प्रत्यर्थीगण आये दिन उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते, उसके बीमार होने पर उसका ईलाज नहीं करवाते, उसका स्त्रीधन उससे छीनकर घर से निकाल दिया एवं उसके साथ मारपीट की गयी। इस प्रकार व्यथित ने उसके प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थीगण द्वारा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ घरेलू हिंसा कारित किये जाने बाबत् कथन किये हैं। यद्यपि प्रत्यर्थीगण द्वारा उनके जवाब प्रार्थना पत्र में एवं दौराने बहस कथन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा व्यथित संख्या एक के साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित नहीं की गयी एवं न ही किसी प्रकार से दहेज की मांग की गयी और न ही मारपीट कर घर से निकाला गया, बल्कि स्वयं व्यथित प्रत्यर्थी संख्या एक को हेरान परेशान करना चाहती है एवं व्यथित ने उसके

प्रार्थना पत्र में मिथ्या कथन अंकित किये हैं तथा प्रत्यर्थी संख्या एक आज भी व्यथित को अपने साथ रखने एवं उसका भरण पोषण करने हेतु तत्पर है, किंतु स्वयं व्यथित ने जानबूझकर प्रत्यर्थी संख्या एक को दाम्पत्य सुख से वंचित कर रखा है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्योप लगाये हैं, किंतु इस स्तर पर न्यायालय के मत में कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक मूल प्रार्थना पत्र में दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य आना शेष है और दोनों पक्षों की ओर से उठाये गये तथ्यों का निर्धारण साक्ष्य के पश्चात् ही किया जा सकता है। लेकिन पत्रावली पर आयी स्थिति को देखा जाये तो प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि वर्तमान में व्यथित संख्या एक, उसके पुत्रों (व्यथित संख्या दो एवं तीन) सहित उसके पति (प्रत्यर्थी संख्या एक) से पृथक् अपने पिता के यहां निवास कर रही है और दोनों पक्षों में पूर्व में भी घरेलू विवाद के कारण एक आपसी समझौता निष्पादित किया गया था जिसकी फोटोप्रति पत्रावली उपलब्ध है, जिससे यह प्रकट होता है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद अस्तित्व में है और व्यथित संख्या एक की ओर से प्रत्यर्थीगण से पृथक् निवास करने हेतु जो कारण बताये हैं, प्रथम दृष्ट्या उन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

व्यथित संख्या एक ने स्वयं का व स्वयं के दोनों नाबालिग पुत्रों का प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा भरण पोषण नहीं करना बताया है और प्रत्यर्थी संख्या एक को खेती की जमीन, ट्रेक्टर व अन्य कार्य से आय प्राप्त होने का कथन किया है तथा स्वयं के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं होना बताया है। प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से भी स्वयं के पास खेती की जमीन नहीं होकर उसके पिता के नाम खेती की बहुत ही कम जमीन होने एवं स्वयं के ट्रेक्टर, ट्रोली आदि की किश्तें जमा नहीं करवाने से फाईनेंस कंपनी द्वारा जब्त करने व स्वयं द्वारा वर्तमान में 250 रूपये की दिहाडी मजदूरी करने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि व्यथित स्वयं मजदूरी करती है, जिससे वह स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा व्यथित संख्या एक को स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम बताया है, किंतु व्यथित संख्या एक स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम है या नहीं यह साक्ष्य का विषय है। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया है कि वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा व्यथितगण का भरण-पोषण किया जा रहा हो। प्रत्यर्थी संख्या एक ने स्वयं द्वारा प्रतिदिन 250/- रूपये की दिहाड़ी मजदूरी करना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या एक का यह नैतिक दायित्व भी है कि वह व्यथितगण के भरण-पोषण, कपड़े, लते, ईलाज इत्यादि की व्यवस्था करे। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि व्यथितगण स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है और वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या एक

द्वारा व्यथितगण का किसी प्रकार से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है।

जहां तक इन प्रश्नों का सवाल है कि व्यथित संख्या एक स्वयं अपना भरण-पोषण करने में समर्थ है, प्रत्यर्थी संख्या एक की क्या आय है, प्रत्यर्थी संख्या एक व्यथितगण का भरण-पोषण करने में समर्थ है या नहीं, व्यथित संख्या एक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक का युक्तियुक्त कारण से परित्याग किया गया है या नहीं, तो न्यायालय के मत में उपर्युक्त प्रश्नों का साक्ष्य के पश्चात् ही विनिश्चय किया जा सकता है, परंतु प्रथम दृष्ट्या पत्रावली पर जो तथ्य उभरकर आये हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में व्यथितगण को अंतरिम भरण-पोषण दिलाया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

-:: <u>आदेश</u> ::-

08. परिणामस्वरूप व्यथित श्रीमती कल्पना की ओर से घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र में धारा 23 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत अंतरिम भरण पोषण दिलाये जाने बाबत् स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या एक किशनलाल प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक 04-03-2020 से व्यथित संख्या एक श्रीमती कल्पना, व्यथित संख्या दो अनिल एवं व्यथित संख्या तीन कुशाल को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में क्रमशः 3000/- रूपये, 1000/- रूपये व 1000/- रूपये, कुल 5000/- रूपये प्रतिमाह अदा करे। उपर्युक्त राशि की अदायगी प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा प्रत्येक माह की दस तारीख तक की जायेगी। व्यथितगण इस आदेश के अतिरिक्त अन्य किसी आदेश के तहत प्रत्यर्थी संख्या एक से कोई राशि बाबत् भरण-पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो प्रत्यर्थी संख्या एक उस राशि को इस आदेश के तहत प्रदान की जाने वाली राशि में समायोजित करवाने का अधिकारी होगा।

(नुकेश भगोरा)
अतिरक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कानोड़, जिला-उदययपुर (राज.)

09. आदेश आज दिनांक 19-01-2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(नुकेश भगोरा)
अतिरक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कानोड़, जिला-उदययपुर (राज.)